

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :- रिमजीराम पुत्र पेमाराम --बनाम--  
किस्म मुकदमा :- राजस्व प्रा.पत्र

अप्रार्थी :- तहसीलदार  
नम्बर :- 15/2023

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व  
तारीख  
अहकाम जो  
हक हुक्म  
की तामील  
में जारी  
हुए

14.06.23

प्रार्थी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प बांजाकुड़ी में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा- बांजाकुड़ी में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 160, 48, 598, 597, 599, 347 में प्रार्थी की संयुक्त सहस्रातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम रिमजीराम पुत्र पेमाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में रिमजीराम पुत्र पेमाराम हैं, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम रिमजीराम पुत्र पेमाराम के स्थान पर रिमजीराम पुत्र पेमाराम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

प्रशासन गांवो के संग अभियान बांजाकुड़ी में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक जैतारण व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा- बांजाकुड़ी में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 160, 48, 598, 597, 599, 347 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम रिमजीराम पुत्र पेमाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में रिमजीराम पुत्र पेमाराम दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम रिमजीराम पुत्र पेमाराम के स्थान पर रिमजीराम पुत्र पेमाराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक जैतारण व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधार पर मौजा- बांजाकुड़ी में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 160, 48, 598, 597, 599, 347 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि रिमजीराम पुत्र पेमाराम को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम " रिमजीराम पुत्र पेमाराम " दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

SDO (क्याम सुन्दर बिहानेई)  
उपखण्ड अधिकारी एवं प्रमुख  
सहायक कमिश्नर जैतारण (पाली)